| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**सोहनलाल बनाम सुखचन्द**<br>**अपील संख्या: 83/2021( जीसीएमएस नम्बर 2021/179)** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19.03.24 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित उन्होने कोस्ट की राशि जमा कराने हेतु अवसर चाहा। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी दिनांक 30.11.2021 को 700/–अक्षरे सात सौ रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया गया है जिसकी पालना में अपीलार्थी की ओर से वर्ष 2021 से कोस्ट की राशि राजकोष में जमा करवाने हेतु बार–बार अवसर लिया जाता रहा है उसके उपरान्त भी अपीलार्थी की ओर से न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में आज दिनांक तक कोस्ट की राशि जमा नही करवाई गई। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील को अब आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है।<br><br>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की ओर से न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना नही किये जाने के कारण अपीलार्थी अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>(डॉ0 प्रवीण कुमार)<br>अति.संभागीय आयुक्त<br>जयपुर। | |